बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (कैमूर) 02–01/2026–......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...........................

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के माध्यम से श्रीमती सरस्वती कुमारी द्वारा प्राप्त निवेदन के आलोक में **श्रीमती पुष्पलता कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोहनिया, कैमूर (भभुआ)** के विरूद्ध दाखिल–खारिज वाद सं0–1991/2024–25, वाद सं0–1922/2024–25, वाद सं०–1926/2024–25, वाद सं0–1927/2024–25, वाद सं0–1928/2024–25, वाद सं0–1929/2024–25, वाद सं0–1978 / 2024–25 एवं वाद सं0–1980/2025 के निष्पादन में अनियमितता बरती जाने तथा पदीय उत्तरदायित्व के प्रति कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–588(15), दिनांक–21.04.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा अंचल अधिकारी, हसनपुर, समस्तीपुर के पत्रांक–640 दिनांक–24.04.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में गठित आरोपों एवं आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6(12) के आलोक में सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित रहने के कारण प्रश्नगत दाखिल–खारिज वाद अस्वीकृत किया गया परंतु अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक–2619, दिनांक–26.09.2025 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल–खारिज आवेदन की तिथि दिनांक–27.09.2024 एवं सिविल न्यायालय में वाद दायर करने की तिथि दिनांक–11.11.2024 है जिससे स्पष्ट है कि दाखिल–खारिज आवेदन करने के बाद उसे बाधित करने के उद्देश्य से ही दाखिल–खारिज याचिका दायर करने के लगभग 1.5 माह बाद न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसमें आपत्तिकर्ता एवं आरोपी पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी की संदिग्ध मंशा एवं संलिप्तता प्रतीत होती है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4. श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती पुष्पलता कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर **सम्प्रति अंचल अधिकारी, हसनपुर, समस्तीपुर** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Pushplata_CO(Mohania_kaimur)_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc

ज्ञापांक–15/आरोप (कैमूर) 02–01/2026–.........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.......................................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, समस्तीपुर एवं कैमूर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर एवं कैमूर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/ श्रीमती पुष्पलता कुमारी, अंचल अधिकारी, हसनपुरं, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (कैमूर) 02–01/2026–....972....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..03/07/2026..

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–09/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्रीमती पुष्पलता कुमारी** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

3/6/2026

(इनायत खान),
विशेष सचिव।